प्रार्थना पत्र संख्या 17/2025 अब्दुल फशाल बनाम कुमार पल्लव वगैरह "251–ए"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील कुमार I, (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 17/2025 GCMS 2025/19

प्रार्थीगण :–

1. अब्दुल फशाल पुत्र मोहम्मद नासीर मोहम्मद जाति रंगरेज मुसलमान निवासी नली का बालाजी कुचामन सिटी
2. मोहम्मद इब्राहिम पुत्र मोहम्मद अली जाति मुस्लिम निवासी पीर की दरगाह सोनू हॉस्पिटल के पास मकराना
3. रिछपाल सिंह चौधरी पुत्र जीवणराम चौधरी जाति जाट निवासी शाहजी का बगीचा कुचामन सिटी

अप्रार्थीगण :–

1. कुमार पल्लव पुत्र खिलेश चंद्र राय जाति ब्राह्मण निवासी अनिता कॉलोनी हाज्यावाला सांगानेर जयपुर
2. मोहनलाल गुर्जर पुत्र रामेश्वरलाल जाति गुर्जर निवासी डीडवाना रोड़ कुचामन सिटी
3. विजय जैन पुत्र चिरंजीलाल जैन जाति जैन निवासी बालाजी बाजार कुचामन सिटी
4. आयुक्त नगरपरिषद् कुचामन सिटी।
5. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री श्यामलाल कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से

–:निर्णय :–

दिनांक :– 02/06/2025

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि कुचामन सिटी पटवार हल्का कुचामन सिटी की राजस्व सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 2112 रकबा 0.02 हे. किस्म गै.मु.कुआं खसरा नंबर 2113 रकबा 1.31 हे. किस्म चाही 3 व जाव कुल खसरे 02 कुल रकबा 1.33 हे. में आवेदकगण एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 3 काबिज सहखातेदार काश्तकार है। हम आवेदकगण को अपनी सहखातेदारीशुद्धा भूमि खसरा नंबर 2113 में आने–जाने के लिए रास्ता कुचामन सिटी के ही खेत खसरा नंबर 2111 रकबा 2.43 हे. किस्म बारानी 3 में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर 30 फीट चौड़ाई व 200 फीट लंबाई में खसरा नंबर 2113 की दक्षिणी सींव में आने जाने के लिये एवं कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर एवं मवेशियान आदि को लाने ने जाने के लिए मार्ग की आश्यकता है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए मार्ग की अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं चाहे गये मार्ग का नजरी नक्शा जो परिशिष्ट 'क' है जिसको इस प्रार्थना पत्र का भाग माना जावें। उपर्युक्त पैरा नंबर 01 में वर्णित खसरा नंबर 2111 के मध्य से पूर्व से पश्चिम दिशा में बने रोड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:38:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

निकला हुआ है। खसरा नंबर 2113 की भूमि में आने–जाने के लिए खसरा नंबर 2111 की भूमि में बनी बाइपास रोड़ तक 30 फीट चौड़ाई व 200 फीट लंबाई बाइपास रोड़ तक लगते हुये रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। इस रास्ते के अलावा खसरा नंबर 2113 में आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। सबसे नजदीक यही रास्ता पड़ता है। अप्रार्थी सं. 01 ता 03 कमाने खाने के लिए बाहर गये होने के कारण उन्हें अप्रार्थी पक्षकार मुकदमा बनाया गया है तथा अप्रार्थी सं. 4 खातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी सं. 5 भूमिधारी होने से औपचारिक पक्षकार है। प्रार्थीगण को इस रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है जिससे कि प्रार्थीगण अपने खेत में सुचारू रूप से कृषि कार्य को कर सकें। प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के साथ नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' किया है जो आवेदन पत्र का भाग समझा जावे। इस नजरी नक्शे में बिंदु A से B तक रास्ता बताया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन है कि आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर नया मार्ग खसरा नंबर 2113 की भूमि में आने–जाने के लिए खसरा नंबर 2111 की भूमि में से 30 फीट चौड़ाई व 200 फीट लंबाई बाइपास रोड़ तक लगता हुआ दिलवाने के आदेश प्रदान फरमावें। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि की डी.एल.सी दर से राशि अदायगी के लिए तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकार अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावे। तहसीलदार कुचामन सिटी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी खातेदार अपने खातेदारी खसरा नम्बर 213 में जाने हेतु खसरा नम्बर 2111 में से रास्ता चाहा है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 2111 के पूर्व में स्थित खातेदारी खसरान में से अनुतोष नहीं चाहा है। खसरा नम्बर 2111 (राजकीय भूमि) रकबा 2.43 हैक्टयर वर्तमान में नगर पालिका कुचामन सिटी के नाम दर्ज है।

वकील प्रार्थीगण की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2113 में आने–जाने हेतु धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानोनुसार रास्ता चाहा है। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि खसरा नम्बर 2111 के अलावा चारों तरफ निजी खातेदारी की भूमियां उपलब्ध है। चूंकि खसरा नम्बर 2111 वर्तमान में नगरपालिका कुचामन सिटी के नाम दर्ज है। अतः धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत निकटतम मार्ग लेने हेतु प्रार्थीगण को अन्य पड़ौसी निजी खातेदारों को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। प्राथीगण द्वारा पास में स्थित अन्य निजी भूमियों में से रास्ता नहीं चाहने के कारण रास्ते की कम–ज्यादा दूरी की तुलना किया जाना संभव नहीं है। चूंकि धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में काश्तकार को अपने खेत तक पहुंचने के लिए निकटतम दूरी का रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाये जाने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:38:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र संख्या 17 / 2025 अब्दुल फसाल बनाम कुमार पल्लव वगैरह "251–ए"

निर्णय आज दिनांक 02/06/2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनिल कुमार-I)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:38:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner